भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 715

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

देश में भूजल संदूषण और प्रबंधन

715. श्रीमती रंजीत रंजन:

श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान भूजल में नाइट्रेट के स्तर संबंधी जिला-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) उर्वरकों के उपयोग और पानी की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव सहित कृषि संबंधी गतिविधियों से होने वाले नाइट्रेट संदूषण को कम करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य स्त्रोतों से होने वाले संदूषण को कम करने के लिए, विशेष रूप से राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक जैसे गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों में, क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) जल स्तर मापने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग और वर्ष 2027 तक नेटवर्क को 40,000 कुओं तक बढ़ाने के अपेक्षित परिणामों सहित भूजल निगरानी नेटवर्क के विस्तार में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अत्यधिक दोहन हो चुके क्षेत्रों में भूजल दोहन को संतुलित करने के लिए सरकार की क्या कार्यनीति है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) अपने भूजल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के तहत प्रति वर्ष क्षेत्रीय स्तर पर भूजल गुणवत्ता डेटा तैयार करता है। वर्ष 2019 और 2023 के लिए दर्ज किए गए भूजल नमूनों में नाइट्रेट के स्तर का जिलेवार डेटा निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:https://cgwb.gov.in/sites/default/files/inline-files/percentage_of_samples_nitrate_morethan_permissible_limits_all_states_2023_2019.pdf

(ख): सरकार देश में सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को हतोत्साहित करना और जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। सरकार वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन की मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना के तहत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनाओं को लागू कर रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मृदा की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, साथ ही मृदा स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा पर सिफारिशें भी करता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) की सिफारिशों के आधार पर, जैविक खादों और जैव-उर्वरकों के साथ द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अब तक देश भर में 93781 किसान प्रशिक्षण और 7425 किसान मेले/अभियान आयोजित किए गए हैं।

इसके अलावा, सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) कार्यक्रम के माध्यम से 2019-2020 से प्राकृतिक कृषि को भी बढ़ावा दे रही है। यह योजना मुख्य रूप से सभी सिंथेटिक रासायनिक इनपुट के बहिष्कार पर जोर देती है और बायोमास मल्चिंग, गाय के गोबर-मूत्र फॉर्मूलेशन और अन्य पौधों पर आधारित तैयारियों पर प्रमुख जोर देते हुए ऑन-फार्म बायोमास रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देती है।

(ग): जल राज्य का विषय है और भूजल की गुणवत्ता में सुधार लाने और प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए पहल सहित भूजल प्रबंधन की जिम्मेदारी, मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। हालाँकि, इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जैसे कि नियमित गुणवत्ता निगरानी और सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ डेटा साझा करना, आर्सेनिक और फ्लोराइड सुरक्षित कुओं का निर्माण और प्रौद्योगिकी का प्रसार, जल (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा जल में प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए लागू करना आदि।

लेकिन देश की सम्पूर्ण आबादी को दूषित जल के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए सरकार द्वारा जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के कार्यान्वयन के माध्यम से एक व्यापक पहल की गई है। जेजेएम अगस्त 2019 से राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक राज्य सहित पूरे देश में संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर

पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता वाला पीने योग्य नल का जल आपूर्ति का प्रावधान करना है। जेजेएम के तहत, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को जल आपूर्ति सेवा में उपयोग किए जाने वाले नलों की गुणवत्ता के निर्धारित मानदंडों के रूप में अपनाया गया है और जेजेएम दिशानिर्देश यह भी निर्धारित करते हैं कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धन आवंटित करते समय, रासायनिक प्रदूषकों से प्रभावित बस्तियों में रहने वाली आबादी को 10% वेटेज दिया जाता है।

(घ): रियल टाइम आधार पर भूजल के हाई फ्रिक्वेंसी डेटा के महत्व को समझते हुए, इस मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं जैसे भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएम एंड आर) योजना, अटल भूजल योजना आदि के तहत पूरे देश में टेलीमेट्री सिस्टम के साथ डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर) स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के तहत उक्त गतिविधि को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को भी वित्त पोषित किया जाता है। अब तक, उपरोक्त योजनाओं के तहत देश भर में लगभग 24,000 डीडब्ल्यूएलआर स्थापित किए जा चुके हैं। इन उपकरणों से जल स्तर डेटा को सीधे फील्ड से सेंट्रल सर्वर तक उच्च आवृत्ति पर अंतरित किया जाता है जो इस डेटा को लगभग रियल टाइम के आसपास रखता है।

(ङ): जैसा कि पहले बताया गया है, जल राज्य का विषय है इसलिए भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हालांकि, केंद्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को सुगम बनाती है। इस दिशा में, जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा देश में भूजल संसाधनों के सतत विकास के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम, जिनमें जल संकट वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, निम्नानुसार है:-

i. सरकार वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेसए) लागू कर रही है जो वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। इस समय देश में जेसए 2024 को देश के 151 जल संकटग्रस्त जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ लागू किया जा रहा है। जेसए एक अम्ब्रैला अभियान है जिसके तहत

विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण से भूजल पुनर्भरण और संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।

ii. सीजीडब्ल्यूबी ने जलभृतों की स्थिति और उनके विशिष्टीकरण की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम) शुरू किया है। इस योजना के तहत देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर मानचित्रण योग्य क्षेत्र का मानचित्रण किया गया है और कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ प्रबंधन योजनाएँ साझा की गई हैं।

iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा पूरे देश के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान- 2020 तैयार किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है, जिसमें 185 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) का उपयोग करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की गई है।

iv. जल शक्ति मंत्रालय, अटल भूजल योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जो 7 राज्यों के 80 जल संकटग्रस्त जिलों में भूजल के मांग पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सहभागी भूजल प्रबंधन के लिए समुदाय के नेतृत्व वाली योजना है।

v. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), भारत सरकार वर्ष 2015-16 से देश में प्रति बूंद अधिक फसल योजना को लागू कर रही है, जो उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई और बेहतर कृषि क्षेत्र जल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है।

vi. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर आरम्भ किया गया जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और संरक्षण करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का निर्माण/संरक्षण किया गया है।

vii. देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। देश में भूजल के दोहन और उपयोग को सीजीडब्ल्यूए द्वारा 24.09.2020 के अपने दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करके विनियमित किया जाता है।

*****